



बढ़ता कृषक असंतोष : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

□ डॉ० विनोद कुमार मिश्र

भारत में परिवर्तन का वास्तविक स्वरूप स्वतंत्रता के बाद ही आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषक समुदाय की दशा सुधारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किये गये। इन प्रयासों के तहत भूमि सुधार की दिशा में कदम उठाये गये और सिंचाई, बिजली तथा कृषि सम्बंधी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश किया गया। साथ ही किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना का भी प्रयास किया गया। भारत एशिया के उन देशों में है जहाँ शताब्दियों से कृषक समुदाय फलता फूलता रहा है, जिसके अपने अलग रीति-रिवाज और सुदृढ़ परम्परायें रही हैं, जिन पर उतना झटका मध्ययुग के आक्रमणकारियों से नहीं लगा जितना कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से लगा और वह भी औद्योगिक क्रांति के पूरा होने के बाद। इस प्रकार परम्परा और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में इतना बड़ा बदलाव आया कि सादा और सरल जीवन यापन करने वाला किसान असंतोष के उस सीमा तक पहुँच गया जहाँ उसे आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। जिस देश का अन्नदाता ही संकट में हो वहाँ की प्रगति कैसे होगी? विचारणीय है कृषि वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं के लिए।

किसान का सीधा सम्बन्ध भूमि से है। उसकी जमीन उसका जीवन है। उसके जीने का आधार जमीन है। खेती है, फसल है, जमीन से उत्पन्न होने वाली चीजें उसकी आय के स्रोत हैं। इस स्रोत का ही जब दोहन होने लगे और किसानों का शोषण होने लगे तो आन्दोलन की चिन्तनी अन्दर ही अन्दर सुलगने लगती है। भूमिहीन किसानों एवं छोटे किसानों का शोषण विभिन्न युगों की सामंती और पूँजीवादी व्यवस्था के तहत किया जाता रहा है। प्रत्येक युग ने शोषण के अपने आधार तैयार किये—“रजनीदास दत्त शोषण के इतिहास को तीन मुख्य भागों में बाँटते हैं—

1. पहला युग प्रारम्भिक पूँजीवाद (साम्राज्यवाद) का युग है जिसकी प्रतिनिधि ईस्ट इण्डिया कम्पनी थी, यह युग अठारहवीं शदी के अन्त तक चला।

दूसरा औद्योगिक पूँजी का अर्थात् मशीनी इस्तेमाल करने वाले पूँजीवादी उद्योगों का युग है, जिसने उन्नीसवीं सदी में भारत के शोषण का नया आधार तैयार किया।

3. तीसरा युग बैंक, पूँजी का आधुनिक युग, जिसने शोषण की पुरानी व्यवस्था के खण्डहरों पर भारत को लूटने की अपनी एक खास व्यवस्था जारी

की।

इस प्रकार अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ किसानों का मनमाना ढंग से शोषण करने लगी। उनके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगे। उन्हें गुलाम की तरह जीवनयापन करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। सम्पूर्ण भारतवर्ष का किसान अंग्रेजी शासकों के उत्पीड़न का शिकार हो गया। भारतीय जमींदारों, साहूकारों, ताल्लुकेदारों और महाजनों ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए किसानों का जी भर के शोषण किया।

किसानों पर सरकार के मालगुजारी का बोझ, जमींदारों के लगान का बोझ, साहूकारों के सूद का बोझ, अन्त में किसान के पास बचता क्या था? गुलामी, शायद इसीलिए निर्धन, दरिद्र और गरीबी से त्रस्त जनता राजा को ही भगवान के रूप में देखती थी।

एल.नटराजन के अनुसार — अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक आधार में जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। अंग्रेजों के जमीन के बन्दोबस्त, मालगुजारी की ऊँची दरें और एक ऐसी न्याय व्यवस्था जो जनता के हितों के खिलाफ जाती थी इन सबका फायदा उठाकर जमींदारों ने आम किसान जनता के ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था।

□ असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, जगद्गुरु रामभद्राचार्य वि.वि., चित्रकूट, (उ०प्र०) भारत

डॉ. ए.आर.देसाई किसानों, मालिक किसानों, बटाईदारों और खेत मजदूरों के आन्दोलनों के निम्न बिन्दुओं की ओर प्रकाश डालते हैं—

1. तत्कालीन परिस्थितियों से किसानों में राजनीतिक चेतना आरम्भ हुई।
2. 1870 और 1897 के बीच बड़े अकाल पड़े।
3. 1870 में बंगाल में बटाईदार आर्थिक संकट के शिकार बने।
4. 19वीं सदी के अन्तिम दशक में जब सूदखोरों ने बेदखली का भय दिखाया तो पंजाब के किसानों ने विद्रोह कर दिया।
5. 1917-18 में गांधी के नेतृत्व में विहार के चंपारण जिले के किसान नील बगीचों के मालिकों, जो अधिकांशतया यूरोपीय थे, के विरुद्ध उठ खड़े हुए।
6. असहयोग आन्दोलन के दौरान किसानों में राजनीतिक चेतना आई।

कृषक धार्मिक आन्दोलन की पृष्ठभूमि में अनेक ऐसे पोषक तत्व हैं जो शताब्दियों से कृषि समाज में समाहित हैं। आज के सभी कृषि अर्थशास्त्री कृषि आय में बढोत्तरी के लिए फसल उत्पादन में वृद्धि के पक्ष में हैं। कृषि संकट के लिए कम उत्पादकता को दोष देते हैं। प्रायः किसानों को यह कहा जाता है कि यदि वैश्वीकरण के दौर में किसान को सुरक्षित रहना है तो प्रतिस्पर्धी बनना पड़ेगा। अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी किसान पैदावार के ऊँची स्तर को छू नहीं पाते। किन्तु अपने देश में अर्थशास्त्रियों द्वारा यही कहते सुना जाता है कि किसान उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक का प्रयोग करें, फसल विविधिकरण अपनाये, सिंचाई क्षमता को बढ़ाये, विचौलियों से बचने के लिए नये-नये आधुनिक तरीकों को अपनाये। इन सबके लिए किसानों को ही जिम्मेदार बताया जाता है, उन्हें यह भी कहा जाता है, उन्हें कर्ज का उपयोग करने नहीं आता।

विगत एक दशक का आंकड़ा देखा जाय तो लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, बाढ़ और सूखा कृषि संकट को विकट बना दिया है। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। 2014-15 में अकेले महाराष्ट्र में आत्महत्याओं की संख्या 274 थी। विदर्भ में किसान पैसों के लिए अपना खून तक बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड की

स्थिति इससे अच्छी नहीं है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए जितने भी उपाय बताये जाते हैं वे पूर्णतः गलत हैं। कृषि अर्थशास्त्री सारी जिम्मेदारी किसानों के सिर पर मढ़ देते हैं। पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ 98 प्रतिशत कृषि सिंचित है जहाँ का पैदावार अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को भी पूरा करती है फिर भी वहाँ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं आखिर क्यों? चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एण्ड कम्युनिकेशन के प्रोफेसर एच.एस.शेरगिल के अध्ययनों में पाया गया कि मशीनीकरण, तकनीक, रसायनों का प्रयोग, पूंजी उपलब्धता, उत्पादकता आदि के आधार पर पंजाब की कृषि को विकसित देशों की कृषि से तुलना की गई है। अध्ययन के अनुसार प्रति एक हजार हेक्टेयर पर ट्रैक्टरों की संख्या पंजाब में जहाँ 122 पाई गई है, वहीं अमेरिका में 22, ब्रिटेन में 76 और जर्मनी में 65 है। प्रति हेक्टेयर खाद के प्रयोग में पंजाब 449 किग्रा के साथ शीर्ष पर है, जबकि अमेरिका में प्रति हेक्टेयर 103 किग्रा., ब्रिटेन में प्रति हेक्टेयर 208 किग्रा. और जापान में प्रति हेक्टेयर 278 किग्रा. खाद का प्रयोग होता है। फसल पैदावार की स्थिति देखे तो पंजाब में गेहूँ, चावल और मक्का 7633 किग्रा. प्रति हेक्टेयर वार्षिक पैदावार के साथ सबसे ऊपर है। अमेरिका 7238 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ब्रिटेन 7008 किग्रा प्रति हेक्टेयर, फ्रांस 7460 किग्रा प्रति हेक्टेयर और जापान 5920 किग्रा. प्रति हेक्टेयर के साथ काफी पीछे है। यदि पैदावार में बढोत्तरी को समृद्धि का मानक बनाए तो पंजाब में किसानों के आत्महत्या का कोई कारण समझ में नहीं आता। वास्तव में अर्थशास्त्री यह मानने को तैयार नहीं है कि किसानों को वास्तविक लागत मूल्य न मिलने के कारण ही कृषि संकट का सबसे बड़ा कारण है।

1970 में जहाँ गेहूँ का खरीद मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल था 2015 में 1450 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया। 1970 से 2015 तक गेहूँ के समर्थन मूल्य में 19 गुना वृद्धि हुई जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 120-150 गुना वृद्धि हुई ऐसे स्थिति में किसानों को जीवन गुजारना कठिन है। दूसरे क्षेत्रों में जितना वेतन वृद्धि हुआ है उसकी तुलना

में गेहूँ का समर्थन मूल्य 7600 रुपये होनी चाहिए। गेहूँ की वैध कीमत जिसे किसानों को देने से इनकार किया जाता रहा है। कृषि अर्थशास्त्रियों को यह मानना होगा कि कृषि संकट के लिए आज वितरण में भारी असंतुलन जिम्मेदार है।

ब्रिटिश शासनकाल में किसान साहूकारों का गुलामी करने के लिए मजबूर थे। आज आधुनिक साहूकारों (बीज-खाद, माफिया) के गुलाम बन गये हैं। उत्पादन बढ़ाने के नाम पर जैविक खाद का प्रयोग समाप्त सा हो गया, और रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग का इतना प्रचार किया गया कि इससे जल भूमि, वायु सब प्रदूषित हो गया। फल, अनाज एवं सब्जियों की पौष्टिकता ही समाप्त हो गयी। चाहे गाँव हो या नगर शुद्धता के नाम पर कितने लोग दूध-दही तक खाना छोड़ रहे हैं। गाँव के लोग जो अपने आँगन और घरों के दिवारों पर सब्जियाँ उगा लेते थे वे भी बाजार पर निर्भर हो गये। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्धाधुंध, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। इनके प्रयोग पर हुए व्यय की तुलना करें तो बड़ी मुश्किल से उतनी लाभ की सब्जी पैदा हो पाती है। इन सब समस्याओं का समाधान हमारे कृषि वैज्ञानिकों के पास है अगर वे पश्चिमी देशों का नकल करना छोड़कर भारतीय दर्शन को पुनः अपना ले। हमारा उद्देश्य नये खोजों को झुठलाना नहीं बल्कि नये खोजों का उचित उपयोग करना जरूरी है तभी देश का कल्याण होगा। कृषि संकट से देश को बचाने के लिए निम्न सुझाव अभीष्ट है—

1. ऐसे बीज की खोज करे जिनकी उत्पादकता अधिक हो परन्तु किसानों को हर बार बाजार से नये बीज नहीं खरीदना पड़े। जो अपने पास अगले बार के लिए बीज को सुरक्षित भण्डारण उत्पादित अन्न से ही कर सकें। बाजार पर उनकी निर्भरता न के बराबर हो कुछ नया आने के बाद ही वे फिर से बीज खरीदे।

2. कृषि रासायनिक खाद और कीटनाशक

आधारित न हो। जैविक खाद का उपयोग हो ऐसा करने से—

—पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

—जल, भूमि और वायु प्रदूषित नहीं होगा।

—शुद्ध जल संरक्षण से मत्स्य पालन में लाभ होगा।

—फल और सब्जी की उत्पादकता बढ़ेगी।

—पौष्टिक आहार के लिए चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।

—किसानों की कार्य लागत कम होगी तथा लाभ ज्यादा होगा।

—ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी।

—शहर की ओर किसानों/नौजवानों का पलायन रुकेगा।

—अन्न भण्डारण की समस्या कम हो जायेगी क्योंकि उत्पादन करने वाले छोटे-छोटे किसानों की संख्या बढ़ेगी जो अपनी जरूरतों के अनुसार अन्न का संचय करेंगे।

राष्ट्र का कल्याण तभी हो सकता है जब किसानों को बीज खाद, माफिया से मुक्त कराकर उनकी पैदावार की लागत को कम कर सकेंगे। देश के कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में त्वरित प्रयास करना चाहिए।

आवश्यकता इस बात की है कि सूखा, महामारी अथवा दूसरी प्राकृतिक विपत्तियों के समय ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार किया जाय और सरकारी तन्त्र की अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्हें प्रभावपूर्ण बनाया जाये। हमें यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि कृषक असंतोष का सम्बन्ध भारत की कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत भाग से है। ऐसी स्थिति में यदि शीघ्र ही व्यावहारिक प्रयत्नों के द्वारा इस असंतोष का निवारण नहीं किया गया तो हमारी सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था विघटित हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दत्त रजनीदास : भारत वर्तमान और भावी, उद्धृत—सिंह जन्मेजय, भारत में सामाजिक आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2005, पृ.80.
2. नटराजन, एल : भारत के किसान विद्रोह उद्धृत—उपरोक्त, पृ.81.
3. देसाई, ए.आर., भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, उद्धृत, अग्रवाल, जी. के.—भारत में सामाजिक आंदोलन, एस.बी. पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा—2014, पृ.93.
4. शर्मा, देविन्दर : सम्पादकीय "कृषि संकट का असली जड़", दैनिक जागरण, शनिवार 7 मई, 2016
5. गाँव आज तक, न्यूज चैनल, आजतक, 20 फरवरी, 2016
6. शर्मा देविन्दर, उपरोक्त
7. वही,
8. अग्रवाल, जी.के. : भारत में सामाजिक आन्दोलन, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा, 2014, पृ.96
